न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 128 / 2022
प्रकरण दर्ज तिथि :—12.12.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022 / 314

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादी:

1. कोयलीदेवी पत्नि बुधा
2. खुशबू पुत्री बुधा
3. बीना पुत्री बुधा
4. मंजू कंवर पत्नि रविन्द्र
5. मधुकंवर पुत्री बुधा
6. मनोहरसिंह पुत्र बुधा
7. विक्रम सिंह पुत्र बुधा
8. संतोष कंवर पुत्री बुधा
9. सुमन पुत्री बुधा जातिगण मेहरात निवासीगण कोलपुरा

प्रतिवादीगण:

1. तेजा पुत्र मेता
2. धूलीदेवी पुत्री बादर
3. नैना पुत्र मेता
4. नैनी पत्नि दाउ
5. बनीदेवी पुत्री बादर
6. मादू पुत्र नूरा
7. रोशन पुत्र दाउ
8. लक्ष्मीदेवी पुत्री बादर
9. लादुसिंह पुत्र बादर
10. सुगरा पुत्री बादर
11. सोहनीदेवी पत्नि बादर
12. हीरा पुत्र रहमान जातिगण मेहरात निवासीगण कोलपुरा
13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाबरा
14. राजस्थान सरकार जरिए उपतहसीलदार सेन्दडा

दावा बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्त. अधिनियम

1 श्री अशोक बारहठ अधिवक्ता वादी उपस्थित

2 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01,02 से, 6,08,09,11,12 उपस्थित एवं शेष अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 11.12.2023

वादी की ओर से वकील श्री अशोक बारहठ द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2703 रकबा 2.6305 हैक्टेंयर किस्म बारानी दोयम हैं। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/2 वां हिस्से की भूमि का रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल जमाबंदी संलग्न हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण माफिक हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते हैं वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि खातेदारान के सामलाती खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हैं जिसका कानूनन बंटवाडा बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस किया जाना आवश्यक हैं। सामलाती खातेदारी की भूमि होने से वादीगण को अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त करने हेतु भी अनेक परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि बंटवाडे करने दिनांक 30.10.2022 को प्रतिवादीगण को कहा लेकिन इनकार कर दिया हैं। तब वादपत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा के खसरा नम्बर 2703 रकबा 2.6305 हैक्टेंयर किस्म बारानी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि में बंटवाडा व खाता व लगान अलग अलग किया जावें। साथ ही प्रतिवादीगण को उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट इत्यादि से भूमि में उपयोग उपभोग किसी प्रकार की दखलअंदाजी से रोका जावें।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। जो पत्रावली संलग्न किये गये हैं। प्रतिवादीगण संख्या 02, 07, एवं 10 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादीगण संख्या 01,02 से 06,08,09,11,12 की ओर से श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया हैं जो संलग्न हों। प्रतिवादीगण अधिवक्ता वादपत्र पर अपना जबाव नहीं देना चाहते हैं एवं बहस करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की हैं। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने की प्राथमिक डिकी जारी करने हेतु सहमत हैं। उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने की प्राथमिक डिकी जारी करने के आदेश दिये गये हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया था, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र कमांक 2806 दिनांक 03.11.2023 के द्वारा प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया एवं सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा का बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न है:–

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
198 (नया 1)	कोयलीदेवी पत्नि बुधा हि. 1217/13153 खुशबु पुत्री बुधा हि. 1218/13153 बीना पुत्री बुधा हि. 1218/13153 मंजू कंवर पत्नि रविन्द्रसिंह हि. 2192/13153 मधुकंवर पुत्री बुधा हि. 1218/13153 मनोहरसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 रवीन्द्रसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 विकमसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 संतोषकंवर पुत्री बुधा हि. 1218/13153 सुमन पुत्री बुधा हि. 1218/13153 कौम मेर(मेहरात काठात, मेहरात घोडात चीता) सा. देह खातेदार	2703	01.3153	बा. दो.	2.03
	योग	01	01.3153	बा.दो.	2.03
198 (नया 2)	तेजा पुत्र मेता हि. 1461/13152 धूली देवी पुत्री बादर हि. 292/13152 नैना पुत्र मेता हि. 1461/13152 नैनी पत्नि दाउ हि. 488/13152 प्रताप पुत्र मेता हि. 1461/13152 बनीदेवी पुत्री बादर हि. 292/13152 मादु पुत्र नूरा हि. 1462/13152 रोशन पुत्र दाउ हि. 487/13152 लक्ष्मीदेवी पुत्री बादर हि. 292/13152 लादूसिंह पुत्र बादर हि. 292/13152 सुगरा पुत्र दाउ हि. 487/13152 सोहनीदेवी पत्नि बादर हि. 293/13152 हीरा पुत्र रहमान हि. 4384/13152 कौम मेर (मेहरात काठात, मेहरात घोडात, चीता) सा. देह खातेदार	2703/ मिन 1	01.3152	बा.दो.	2.02

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	रहन :– तेजा पुत्र मेता, नेना पुत्र मेता का हि. एसबीआई शाखा बाबरा				
	योग	01	01.3152	बा.दो.	2.02

प्राथमिक डिक्री की पालना अनुसार बंटवाडा करने हेतु एवं अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति प्रदान की हैं। वकील वादी एवं प्रतिवादी ने बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी एवं प्रतिवादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी एवं प्रतिवादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा करने के आदेश एवं अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
198 (नया 1)	कोयलीदेवी पत्नि बुधा हि. 1217/13153 खुशबु पुत्री बुधा हि. 1218/13153 बीना पुत्री बुधा हि. 1218/13153 मंजू कंवर पत्नि रविन्द्रसिंह हि. 2192/13153 मधुकंवर पुत्री बुधा हि. 1218/13153 मनोहरसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 रवीन्द्रसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 विक्रमसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 संतोषकंवर पुत्री बुधा हि. 1218/13153 सुमन पुत्री बुधा हि. 1218/13153 कौम मेर(मेहरात काठात, मेहरात घोडात चीता) सा. देह खातेदार	2703	01.3153	बा. दो.	2.03
	योग	01	01.3153	बा.दो.	2.03

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

100 (नया 2)	तेजा पुत्र गेता हि. 1461 / 13162 धूली देवी पुत्री बादर हि. 202 / 13162 गेना पुत्र गेता हि. 1461 / 13162 गेनी पत्नि दास हि. 488 / 13162 प्रताप पुत्र गेता हि. 1461 / 13162 बनीदेवी पुत्री बादर हि. 202 / 13162 मादु पुत्र पूरा हि. 1462 / 13162 रोशन पुत्र दास हि" 487 / 13162 लक्ष्मीदेवी पुत्री बादर हि. 202 / 13162 लादुसिंह पुत्र बादर हि. 202 / 13162 सुगरा पुत्र दास हि. 487 / 13162 सोहनीदेवी पत्नि बादर हि. 203 / 13162 हीरा पुत्र रहमान हि. 4384 / 13162 कौम मेर (मेहरात काठात, मेहरात घोड़ात, चीता) सा. देह खातेदार रहन :– तेजा पुत्र गेता, गेना पुत्र गेता का हि. एसबीआई शाखा बाबरा	2703 / मिन 1	01.3162	बा.दो.	202
	योग	01	01.3162	बा.दो.	202

बंटवारा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। डिक्री पर्चा एंव बंटवारा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत
धारा 53 एवं 188 राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद 128/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कोयलीदेवी पत्नि बुधा 2. खुशबू पुत्री बुधा 3. बीना पुत्री बुधा 4. मंजू कंवर पत्नि रविन्द्र 5. मधुकंवर पुत्री बुधा 6. मनोहरसिंह पुत्र बुधा 7. विक्रम सिंह पुत्र बुधा 8. संतोष कंवर पुत्री बुधा 9. सुमन पुत्री बुधा जातिगण मेहरात निवासीगण कोलपुरा		1. तेजा पुत्र मेता 2. धूलीदेवी पुत्री बादर 3. नैना पुत्र मेता 4. नैनी पत्नि दाउ 5. बनीदेवी पुत्री बादर 6. मादू पुत्र नूरा 7. रोशन पुत्र दाउ 8. लक्ष्मीदेवी पुत्री बादर 9. लादुसिंह पुत्र बादर 10. सुगरा पुत्री बादर 11. सोहनीदेवी पत्नि बादर 12. हीरा पुत्र रहमान जातिगण मेहरात निवासीगण कोलपुरा 13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बाबरा 14. राजस्थान सरकार जरिए उपतहसीलदार सेन्दडा

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री बिहारीलाल पुरोहित वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अधिवक्तागण श्री जसवंत सिंह सांखला एवं शेष अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते है।

बंटवाड़ा प्रस्ताव
सरहद मौजा कोलपुरा पटवार हल्का बाबरा भू अभिलेख निरीक्षक बाबरा का बंटवाड़ा प्रस्ताव

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
198 (नया 1)	कोयलीदेवी पत्नि बुधा हि. 1217/13153 खुशबु पुत्री बुधा हि. 1218/13153 बीना पुत्री बुधा हि. 1218/13153 मंजू कंवर पत्नि रविन्द्रसिंह हि. 2192/13153 मधुकंवर पुत्री बुधा हि. 1218/13153 मनोहरसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 रवीन्द्रसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 विकमसिंह पुत्र बुधा हि. 1218/13153 संतोषकंवर पुत्री बुधा हि. 1218/13153 सुमन पुत्री बुधा हि. 1218/13153 कौम मेर(मेहरात काठात, मेहरात घोडात चीता) सा. देह खातेदार	2703	01.3153	बा. दो.	2.03
	योग	01	01.3153	बा.दो.	2.03

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

198 (तथा 2)	तेजा पुत्र मेता हि. 1461/13152 धूली देवी पुत्री बादर हि. 292/13152 मैना पुत्र मेता हि. 1461/13152 मैनी पत्नि दात हि. 488/13152 पताप पुत्र मेता हि. 1461/13152 बनीदेवी पुत्री बादर हि. 292/13152 मादु पुत्र पूरा हि. 1462/13152 रोशन पुत्र दात हि. 487/13152 लक्ष्मीदेवी पुत्री बादर हि. 292/13152 लादूसिंह पुत्र बादर हि. 292/13152 सुगरा पुत्र दात हि. 487/13152 सोहनीदेवी पत्नि बादर हि. 293/13152 हीरा पुत्र रहमान हि. 4384/13152 कौम मेर (मेहरात काठात, मेहरात घोडात, चीता) सा. देह खातेदार रहन :— तेजा पुत्र मेता, मैना पुत्र मेता का हि. एसबीआई शाखा बाबरा	2703/मिन 1	01.3152	बा.दो.	202
	योग	01	01.3152	बा.दो.	202

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

मीजा.................. ....मुबलिक.............. ....बाबत.......... .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.12.2023 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा —	02	00	स्टाम्प वकालतनामा —	4	00
स्टाम्प वकालतनामा —	02	00	स्टाम्प हाजरी —		
स्टाम्प वजह सबूत —	00	00	मेहनताना वकील पर —		
मेहनताना वकील —			खर्चा गवाहान —		
खर्चा गवाहान —			फीस कमिश्नर —		
फीस कमिश्नर —			बाबत इजराय हुक्मनामा —		
बाबत इजराय हुक्मनामा —			मुतफरिक —	01	00
मुतफरिक —	6	00	मीजान	5	00
मीजान	10	00			

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।